Web: www.ncbc.nic.in

Trikoot-1, BhikajiCama Place,
New Delhi - 110066

भारतसरकार
सामाजिकन्यायएवंअधिकारितामंत्रालय
राष्ट्रीयपिछड़ावर्गआयोग
Government of India
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 'B' of the Constitution of India)

Date: 23.03.2021

To,

The Vice Chancellor,
Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University,
PUSA, Samastipur -848125, Bihar
(Email: vc@rpcau.ac.in)

Sub: Regarding complaints related to Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University.
References: NCBC/06/01/171/2020 and NCBC/06/05/238/2020, NCBC/06/02/582/2021-CP, NCBC/06/06/300/2020 and NCBC/06/01/575/2021

Sir,

I am directed to refer to hearing dated 18.03.2021 at 04:00 PM on the above mentioned subject and to forward herewith Minutes of the hearing for necessary action and furnish action taken report to this Commission at the earliest.

2. This issues with the approval of Hon'ble Chairman, NCBC.

Encl: As above

Yours faithfully,

M.M. Chattopadhyay
(Dr. M.M. Chattopadhyay)
Joint Director (Admin)

मि.सं.रा.पि.व.आ./06/01/171/2020 -सी.पी.
मि.सं.रा.पि.व.आ./06/05/238/2020- सी.पी.
मि.सं.रा.पि.व.आ./06/02/582/2021-सी.पी.
मि.सं.रा.पि.व.आ./06/06/300/2020–सी.पी.
मि.सं.रा.पि.व.आ./06/01/575/2021–सी.पी.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसंधान अनुभाग
सुनवाई के कार्यवृत

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में **डॉ. भगवान लाल साहनी**, माननीय अध्यक्ष एवं **श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल**, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 18.03.2021 को 04:00 बजे अपराह्न राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के समक्ष द्वतीय सुनवाई की तिथि नियत की।

सुनवाई मे उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव मा. अध्यक्ष
3. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी

आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी

उपस्थित शिकायतकर्ता :-

1. श्री राजीव कुमार

<u>सुनवाई के दौरान श्री शिव कुमार ठाकुर के मामलें में हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:</u>

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: आज की सुनवाई हेतु कुलपति जी को व्यक्तिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।उनके न उपस्थित होने का कारण क्या है?

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: कुलपति जी थोडा व्यस्त थे इस कारणवश आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो पायें ।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: शपथ पत्र पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीजिये कि कुलपति जी आयोग के समक्ष व्यक्तिक रूप से सुनवाई में उपस्थित क्यों नहीं हुए है।

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: जी सर।

श्री राजीव (शिकायतकर्ता): सर, डीओपीटी के आदेश अनुसार 45 दिन से अधिक की नियुक्ति की जाने पर रोस्टर का बनाया जाना आवश्यक है परन्तु इन्होने नहीं बनाया है साथ ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार सभी रोस्टर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: यदि आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत ही दुखद है। आयोग जानना चाहता है कि शिव कुमार ठाकुर का ग्रेड पे 4600 से 4200 क्यों कर दिया गया?

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: सर श्री शिव कुमार ठाकुर का मानना है कि उनके साथ ही अन्याय हुआ है जबकि ऐसा नहीं है उस समय पर दो लोग और थे उनका ग्रेड पे 4600 से 4200 किया गया है।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: आप यही बात शपथ पत्र पर लिखकर दीजिये।

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: जी।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: क्या रिकवरी भी सभी से की गई है?

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: नहीं

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष:यदि किसी से रिकवरी की गई है एवं किसी से रिकवरी नहीं की गई है तो यह किस नियम के तहत किया गया है।

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: मर्सी के आधार पर क्योंकि वह रिटायर हो चुके थे।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: आप यही बात शपथ पत्र पर लिखकर दीजिये।

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: जी।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: श्री शिव कुमार ठाकुर का ग्रेड पे 4600 से 4200 किस वर्ष में किया गया था?

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: तीनों का ही ग्रेड पे 4600 से 4200 01. 01. 2006 में किया गया था।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: जब एक ही दिनांक में सभी का ग्रेड पे 4600 से 4200 किया गया था तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से रिकवरी क्यों की गई एवं रिकवरी करने का आधार क्या था?

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: सर माना की यह गलत हुआ है। बिहार सरकार की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था जिसकी वजह से ऐसा किया गया था।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: यदि मर्सी के आधार पर भी किया गया है तो सभी के साथ किया जाना चाहिए था। वह दोनों व्यक्ति कब रिटायर हुए हैं?

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: श्री अध्यानंद झा वर्ष 2013 में रिटायर हुए थे एवं श्री हरि किशोर पांडे वर्ष 2019 में रिटायर हुए थे। रिकवरी केवल श्री श्री अध्यानंद झा से नहीं की गई है।

<u>सुनवाई के दौरान AIEEA के छात्रों एवं श्री मनीष कुमार के मामलें में हुई चर्चा का विस्तृत विवरण;</u>

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: आयोग जानना चाहता है कि पूसा यूनिवर्सिटी में क्या भारत सरकार के नियम अनुसार पहले मेरिट लिस्ट के अनुसार उसके पश्चात आरक्षण के नियमों के अनुसार चयन किया जा रहा है?

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: सर हमें आईसीएआर के द्वारा मेरिट बना कर दी जाती है जिसके आधार पर ही चयन होता है।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: श्री मनीष कुमार द्वारा आयोग को शिकायत प्राप्त हुई है कि राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्विद्यालय पूसा समस्तीपुर में स्नातक स्तर के कोर्स मे नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर NTA के माध्यम से परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा की रैंक के आधार पर इस विश्वविद्यालय में आईसीएआर के द्वारा काउंसलिंग के पश्चात् रैंक के अनुसार सीट आवंटन किया जाता है। आईसीएआर के द्वारा कि जाने वाली काउंसलिंग में अनारक्षित सीट पर सभी वर्ग (ओबीसी, एससी) के छात्रों को कॉमन रैंक

के अनुसार नामांकन का अवसर दिया जाता है । आईसीएआर के द्वारा काउंसलिंग समाप्त हो जाने के उपरान्त बची हुई सीटों पर विश्वविद्यालय अपने स्तर से आईसीएआर की रैंक के आधार पर मॉप अप राउंड काउंसलिंग कर प्रवेश देती है। इस वर्ष 2020-21 में मॉप अप राउंड काउंसलिंग में पूसा विश्वविधालय के द्वारा अनारक्षित सीट पर कॉमन रैंक के अनुसार मेरिट रैंक मे होने के बावजूद भी ओबीसी छात्रों का दाखिला नहीं लिया जा रहा।

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: ऐसा बिलकुल नहीं है सर, मॉप अप राउंड काउंसलिंग में रैंक के आधार पर ही चयन किया जाता है परंतु कुछ लोगों की रैंक अच्छी होने के बावजूद भी क्योंकि उन्होंने पूरा फॉर्म सही सही नहीं भरा होता है एवं मेरिट में उनका नाम नहीं आता है तो उनका चयन नहीं किया जा सकता है। मैं आपको पूरी सूची उपलब्ध करवा दूंगा।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आप आयोग को सूची उपलब्ध करवाइये।

<u>सुनवाई के दौरान श्री राजकुमार साहनी के मामलें में हुई चर्चा का विस्तृत विवरण;</u>

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: श्री राजकुमार साहनी ने आयोग को अवगत कराया है कि उनकी नियुक्ति 21 दिसंबर 2002 से संविदा के आधार पर सपोर्टिंग स्टाफ के पद पर की गई थी। विश्वविधालय के द्वारा प्रश्न पत्र बनाकर अपने लोगों को परीक्षा से पूर्व जानकारी देकर पास करा दिया गया जबकि प्रश्न पत्र तैयार करने की व्यवस्था होती है।

श्री पी. के. पाठक, उप कुलसचिव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी: सर पहले से जितने भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। उनको उनके कार्य अनुभव के आधार पर अधिकतम 25 नंबर दिए गए थे जो नंबर इन्हें भी दिए गए थे परंतु यह लिखित परीक्षा में पास ही नहीं हो पाए।

सुनवाई के पश्चात् आयोग ने पूसा विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित अधिकारी अपेक्षा की है कि निम्न जानकारी आयोग के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाये एवं अगली सुनवाई में कुलपति एवं बिहार सरकार के अधिकारियों को बुलाया जाये;

1. कुलपति का आयोग के समक्ष व्यक्तिक रूप से सुनवाई में उपस्थित न होने का कारण ।
2. रोस्टर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड ना होने का कारण।
3. विश्वविद्यालय में गेस्ट एवं ad-hoc दोनों ही नियुक्तियों में आरक्षण लागू किया जाता है।

4. पिछले 3 वर्षों में ad-hoc एवं गेस्ट फैकेल्टी पर कितने लोगों की नियुक्ति की गई है उनमें से कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से है।
5. टीचिंग एवं नॉन टीचिंग भर्ती के लिए मोड़ ऑफ सिलेक्शन क्या है?
6. विश्वविद्यालय के विहाफ़ पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर कितने कर्मचारी एवं आउटसोर्सिंग के आधार पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं उनमें से अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत कितना है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनाँक:

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग